

आयकर आयुक्त
आयकर भवन, सिविल लाइन्स इलाहाबाद

फा०सं० 58-59/86/12AA& 80G(5)(vi)/तक०/इला०/2010-11

दिनांक 29.03.2011

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-12AA (1) के अन्तर्गत पंजीकरण आदेश
ओम श्री सिद्धिविनायक फाउण्डेशन(AAATO2764M)
A-112, मेहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, इलाहाबाद

न्यास विलेख/संगम/ज्ञापन दिनांक 10.09.2010 द्वारा गठित ओम श्री सिद्धिविनायक फाउण्डेशन, A-112, मेहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, इलाहाबाद, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-12AA के अधीन पंजीकरण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 11.10.2010 को किया गया है। अतएव पंजीकरण वि०वर्ष 2010-11 (नि०वर्ष 2011-12)से दिया जाता है।

धारा 12AA के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के लिए इस कार्यालय में दिए गए रजिस्टर के क्रम सं० 86 /2010-11 पर आवेदन की प्रविष्टि कर दी गयी है।



(डी०एन०मि०)

आयकर आयुक्त,
इलाहाबाद

नोट:-

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के अन्तर्गत जारी इस प्रमाण पत्र से न्यास/संस्था को अपनी आय पर कर छूट का दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतः अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है क्योंकि इस प्रकार की छूट आयकर अधिनियम की धारा- 11, 12, 12A और 13 में इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों को पूरा किए जाने पर ही निर्भर है।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. ओम श्री सिद्धिविनायक फाउण्डेशन, A-112, मेहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, इलाहाबाद
2. आयकर अपर आयुक्त, रेंज-I/II इलाहाबाद एवं रेंज-III मिर्जापुर ।
3. निर्धारण अधिकारी।

(डी०एन०सोनकर)

आयकर सहायक आयुक्त(मु०)
कृते आयकर, आयुक्त, इलाहाबाद